[प्रतिवेद्य]

[2021] 6 एससीआर

लक्ष्मण सिंह

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

आपराधिक अपील संख्या) 606(2021/

2021 जुलाई 23

डॉ. धनंजय वाई चन्द्रचूड और एम.आर. शाह न्यायमूर्ति

दंड प्रक्रिया संहिता – 147 और 327 धारा:1860 ,अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आम चुनाव के दिन पीडब्लू 8-पूलिंग बूथ से गज 200 दूसरे गांव के – की दूरी पर मतदाताओं को पर्चियां जारी कर रहा था डंडे व देशी पिस्तौल से लैस होकर वहां आए और ,अभियुक्तगण लाठी 8-.डब्लू.पीको मतदाता पर्ची जारी करना बंद करने तथा मतदाता सूची सौंपने को कहा तथा पी 8-.डब्लू.द्वारा मना करने पर उसे हाथ लाठी व डंडों ,मुक्का , 8-जब पीडब्लू –से पीटना शुरू कर दियाका भाई पीडब्लू 10-उसे बचाने आया तो अभियुक्त'-डी 10-ने पीडब्लू 'पर गोली चला दी जिससे वह छर्रे लगने से आहत हो गया '-अभियुक्त -ए इसके बाद - पर गोली चला दी 12 ने पीडब्लू ' गांव वाले वहां पहुंचे और अभियुक्त मौके से भाग गए अभियुक्त को अंतर्गत - दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दाखिल – दोषी ठहराया गया 147 और 327 धारा 10.डब्लू.पी ,8-पीडब्लू ,5-पीडब्लू : अभिनिर्धारित – की गयीऔर पी 12.डब्लू. आहत चक्षुदर्शी साक्षी थे उनकी चोटें उनकी पर -ीक्षण करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य से स्थापित और सिद्ध हुईं सभी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के – यहां तक कि कुछ अभियुक्तगण को चोटें – मामले का पूर्ण समर्थन किया में अपनी चोटों 313 लेकिन वे अपने कथन अंतर्गत धारा , भी कारित हुई घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षियों और – के बारे में बताने में असफल रहे सभी साक्षी अपने कथनों पर – आहत चक्षुदर्शी की उपस्थिति स्वाभाविक थी

दोषसिद्धि - स्थिर थे और अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। – के आदेश में कोई त्रुटि नहीं

दंड प्रक्रिया संहिता :1860 ,धारा – 323इंजरी रिपोर्ट अनुपस्थिति – के तहत 323 धारा : अभिनिर्धारित – अभियोजन मामले पर प्रभाव – के तहत अपराध 323 अपराध के लिए चोट की रिपोर्ट प्रस्तुत करना धारा 323 धारा – के लिए मामला स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है स्वेच्छा से उपहति पहुंचाने के लिए दंडनीय धारा है यहां तक कि जो - करता है यह कहा 'उपहति' व्यक्ति शारीरिक पीड़ा कारित करता है वह भी जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता - 147 धारा :1860 ,घटना के समय सभी अभियुक्तगण की उपस्थिति अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा स्थापित और सिद्ध की गई थी उन्होंने एक समान उद्देश्य के अग्रसण में अर्थात मतदाता – सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठन सही रूप से दोषी ठहराया गया। 147 अपीलकर्ताओं को अंतर्गत धारा - किया

सजा चुनावी प्रणाली का – बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान – दंड/ सारमतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए ,:अत –बूथ कैप्चरिंग और या फर्जी मतदान के किसी/ भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः विधि के चुनाव के अधिकार को खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है –

हालाँकि इस मामले में राज्य ने केवल छह महीने के साधारण कारावास के , सजा के आदेश में कोई ,निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की चुनाव प्रणाली। - हस्तक्षेप नहीं किया

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित अभियुक्तगण को दोषी ठहराते ,वर्तमान मामले में .1 : ,1 विचारण न्यायालय ने पीडब्लू ,समयपीडब्लू ,4 और पीडब्लू 3जो स्वतंत्र साक्षीगण थे ,5 और पीडब्लू ,पीडब्लू ,10 और पीडब्लू 8जो आहत साक्षीगण थेके बयान पर बहुत अधिक भरो ,सा किया। घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षीगण और यहां तक कि आहत साक्षीगण की उपस्थिति स्वाभाविक थी। पीडब्लू ,1पीडब्लू ,4 और पीडब्लू 3जो सभी गांव के निवासी थे और वे वहां अपना वोट डालने आए थे और जिन्होंने घटना के देखी थी। सभी साक्षीगण ,1 पीडब्लू ,पीडब्लू और 3 पीडब्लू ने सभी अभियुक्तगण की पहचान की 4 और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। अभियोजन (7 पीडब्लू) पक्ष ने चिकित्सकके साक्ष्य के आधार पर जिसने आहत , ,5 पीडब्लू ,साक्षीगण का परीक्षण किया थापीडब्लू को 12 और पीडब्लू 10 कारित चोटों को स्थापित और साबित किया। उनकी इंजरी रिपोर्ट रिकार्ड में दर्ज कर ली गई। सभी अभियुक्तगण के नाम एफआईआर दर्ज करने के आरंभ से ही लिए गए थे तथा सभी साक्षियों ने सभी अभियुक्तगण के नाम विशेष रूप से लिए थे तथा या अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया/ था। यहां तककि कुछ अभियुक्तगण को चोटें भी कारित हुई और वे अपने ,के कथनों में अपनी चोटों के बारे में बताने में असफल रहे। इस प्रकार 313 घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति स्थापित हो गई तथा 8.डब्लू.पी ,5.डब्लू.अन्यथा भी यह सिद्ध हो गया। पीऔर पी 10.डब्लू.आहत साक्षीगण थे। यहां तक कि अभियुक्त की ओर से पूर्ण जिरह के बाद भी उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन किया। पीडब्लू ,1पीडब्लू या भरोसेमंदता पर संदेह/तथा अन्य की विश्वसनीयता और 4 और पीडब्लू 3 और 8.डब्लू.पी ,5.डब्लू.करने का कोई कारण नहीं है और विशेष रूप से पी जो आहत साक्षीगण हैं। सभी साक्षियों अपने कथनों पर स्थिर ,10.डब्लू.पी रहे हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। इन ,4.डब्लू.पी ,3.डब्लू.पी ,1.डब्लू.निचली न्यायालयों ने पी ,परिस्थितियों में 8.डब्लू.पी ,5.डब्लू.पीऔर पी 10.डब्लू.के बयानों पर भरोसा करते हुए , -736][7 ,5 पैरा] अभियुक्तगण को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है। ईजी[सी-738 ;बीडी-737 ;

रामविलास बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश 16 (2016)एससीसी :316 पर भरोसा किया गया। – 205 एससीआर 9 [2015]

.2पी 8 .डब्लू.ने अपनी मुख्य परीक्षण बयान में स्पष्ट रूप से कहा/ है कि उसे चोट लगने के बाद सरकारी अस्पताल में उपचार उपलब्ध कराया डी को छोड़कर सभी अभियुक्तगण की ओर से-गया था। उसने अभियुक्त प्रहार किये गये थे। उसने यह भी 3-2 जिरह में आगे कहा कि उसे डंडों के कहा कि उसे ठीक से याद नहीं है कि उन्हें कितने प्रहार से चोटें कारित हुई। उसके अनुसार जहां उसके ,वह पहले थाने के एसएचओ के साथ थाने गए , कथन दर्ज किये गये और उसके बाद एसएचओ ने उसे इलाज के लिए पाटन डंडो/अभियुक्तगण द्वारा उस पर लाठी ,अस्पताल भेज दिया। इस प्रकारं से हमला किया गया और उसे चोटें कारित की गई और उसका इलाज सरकारी अस्पताल जिससे यह साबित और प्रमाणित हो गया ,पाटन में किया गया , और दिखाई देने वाली चोट/है। ऐसा हो सकता है कि कोई गंभीर चोट या धार ,इसलिए अस्पताल ने इंजरी रिपोर्ट जारी नहीं की होगी। हालाँकि ,न होा आईपीसी के तहत अपराध के लिए इंजरी रिपोर्ट का पेश करना धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए 323 स्वेच्छा से उपहति पहुँचाने 323 अनिवार्य शर्त नहीं है। आईपीसी की धारा के तहत 319 को आईपीसी की धारा "उपहति" के लिए दंडनीय धारा है। परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा जो कोई किसी,के अनुसार 319 करता 'उपहति' वह भी ,व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या अंग शैथिल्य करता है है यह कहा जाता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते आईपीसी के तहत द 323 हुए निचली न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को धाराोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। -738][8 पैरा]डीएचए-739 ;

.3अब जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत अभियुक्त 147 घटना के समय सभी अभियुक्तगण की उपस्थिति ,की दोषसिद्धि का प्रश्न है और उनकी सक्रिय भागीदारी को अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त साक्षियों ,

का परीक्षण करा के स्थापित और ,जो स्वतंत्र साक्षी और आहत साक्षी भी हैं साबित किया गया है। अभियुक्तगण दूसरे गांव के निवासी हैं। उन्होंने एक के लिए एक विधि विरुद्ध जमाव का गठन क "करनेिया। यह स्थापित और साबित हो चुका है कि उन्होंने बल का प्रयोग किया और घटना में पी ,5.डब्लू. 10.डब्लू.पी ,8.डब्लू.पीऔर पी 12.डब्लू.को चोटें कारित हुई। सभी अभियुक्तगण बलवा करने के 147 अपीलकर्ताओं के पास लाठियां थीं। आईपीसी की धारा- " ,आईपीसी के अनुसार 349 किया गया है। धाराबल किसी" का अर्थ है " व्यक्ति को दूसरे पर बल का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है यदि वह या गति की समाप्ति का कारण बनता ,गति में परिवर्तन ,उस दूसरे को गति] ".... हैपैरा -739][9.1 ,9एजी[

सभी अभियुक्तगण विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उनका 4.1 था। "मतदाता पर्चियां छीनना और फर्जी मतदान करना" सामान्य आशय उन्होंने बल और हिंसा का भी प्रयोग किया। अभियुक्तगण की ओर से यह के तहत बलवा 147 तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा करने के अपराध में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं पाई गई है। हालांकि , वहां साक्षियों के लिए प्रत्येक हमलावर ,जहां हमलावरों की संख्या अधिक हो की पहचान करना तथा उसकी विशिष्ट भूमिका बताना कठिन हो सकता है। यह :घटना भी कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई और अत ,वर्तमान मामले में स्वाभाविक है कि घटना का सटीक विवरण जिसमें प्रत्येक सूक्ष्म विवरण , अर्थात् व्यक्तिगत कृत्यों की सूक्ष्म सटीकता चक्षुदर्शी साक्षीगण ,का खुलासा हो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य ,द्वारा नहीं दी जा सकती। वैसे भी भले ही उसन ,बलवा करने के अपराध का दोषी हैे स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो। -739][9.1 पैरा]एच[एसी-740 ;

अब्दुल सईद बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश **10 (2010)एससीसी 259 13 [2010] :एससीआर [1966]** महादेव शर्मा बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार ;**311 1एससीआर : 18एआईआर - 302 एससी 1966पर भरोसा किया गया।**

इस प 4.2ंरकार एक बार जब विधि विरुद्ध जमाव सामान्य उद्देश्य , " ,वर्तमान मामले में ,यानी ,के अग्रसण में लिए स्थापित हो जाता हैमतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना ,"विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी है। बल का प्रयोग भले ही वह , जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया हो एक बार विधि विरुद्ध सिद्ध , हो जाने पर बलवा माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा लेकिन उत्तरदायित्व विधि विरुद्ध जमाव के ,का प्रयोग सभी द्वारा किया जाए सभी सदस्यों का होगा। कुछ लोग शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं , ,तथा अन्य लोग वास्तव में उपहति पहुंचा सकते हैं ,अन्य लोग संकेतों से फिर भी विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य बलवा करने के लिए समान सभी अभियुक्त सामान्य उद्देश्य अर्थात ,रूप से दोषी होंगे। वर्तमान मामले में के लिए व "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने"िधि विरुद्ध जमाव के सदस्य पाए गए और पीडब्लू ,5पीडब्लू ,8पीडब्लू 12 और पीडब्लू 10 -अपीलकर्ता ,को विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा चोटें कारित की गई आईपीसी के तहत 147 अभियुक्त को बलवा करने के अपराध के लिए धारा -740][9.1 पैरा] दोषी ठहराया जाना सही है।ईएच[

.5यद्यपि वर्तमान मामले में यह स्थापित हो चुका है और साबित हो गया कि सभी अभियुक्त समान उद्देश्य अर्थात मतदाता सूची छीनना और" के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे और "फर्जी मतदान करना ,आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था 147 उन्हें धारा विचारण न्यायालय ने केवल छह महीने के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया था। *पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज* के मामले में इस न्यायालय ने परिशीलन किया था कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। यह भी कहा गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने

के लिए मतदान की गोपनीयता आवश्यक है। निर्वाचन प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। अत ,:बूथ कैप्चरिंग और या फर्जी मतदान के किसी भी/ प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि इससे अंततः विधि का शासन और लोकतंत्र प्रभावित होता है। किसी को भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि , चूँकि राज्य ने केवल छह महीने के साधारण कारावास के प्रावधान के विरुद्ध -741][10 पैरा]बीएफ[

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया **10 (2013)एससीसी - 283 एससीआर 12 [2013] :1पर भरोसा किया गया।**

कुटुम्बका कृष्ण मोहन राव बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश उच्च , इंद ;**509 एससीसी 2 पूरक 1991** न्यायालयर सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान **2 (2015)एससीसी [2015] : 734जी ;563 एससीआर 1 10 (2003)** स्टेट ऑफ़ एमपी बनाम मानसिंह**एससीसी : 414 2 [2003]पूरक एससीआर** स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश बनाम नरेश ;**460 4 (2011)एससीसी** कलाभाई ;**1176 एससीआर 4 [2011] :324** हमीरभाई कछोट बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात **एससीसी (2021) – 347 ऑनलाइन एससीसंदर्भित किये गये।**

संदर्भित निर्णयज विधि

2 .सप [1991]एससीसी 509	सन्दर्भित किया गया	पैरा 3.10
1 [2015]एससीआर 563	सन्दर्भित किया गया	पैरा 3.10

1 [1966]एससीआर 18	उस पर विश्वास किया गया	पैरा 4.3
2 [2003]सप्लीमेंट एससीआर 460	सन्दर्भित किया गया	पैरा 4.5
13 [2010]एससीआर 311	उस पर विश्वास किया गया	पैरा 4.5
9 [2015]एससीआर 205	उस पर विश्वास किया गया	पैरा 4.5
4 [2011]एससीआर 1176	सन्दर्भित किया गया	पैरा 4.5
12 [2013]एससीआर 283	उस पर विश्वास किया गया	पैरा 4.8

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार2021/606 आपराधिक अपील संख्या :

आपराधिक अपील संख्या में झारखंड उच्च (आर)1999/232 (एसजे) के निर्णय एवं आदेश से 31.10.2018 रांची के दिनांक ,न्यायालय

साथ

आपराधिक अपील संख्या 2021/631-630

मनोज स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता ,धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा राजीव कुमार , ओंकार प्रसाद अधिवक्ता वास्ते अपीलकर्ता । ,झा

अरुणाभ चौधरी ,तपेश कुमार सिंह ,सुश्री पल्लवी लंगर ,एएजी , अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी। ,सुश्री भास्वती सिंह ,आदित्य प्रताप सिंह

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

<u>न्यायमूर्ति एम. आर. शाह,</u>

1. मूल आरोपी संख्या 9, 8, 12, 11, 10, 14, 2 और 13 लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, विजय सिंह, संजय प्रसाद सिंह, राजमणि सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह और रामाधार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा आपराधिक अपील संख्या 232/1999 और 242/1999 में पारित दिनांक 31.10.2018 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की है , जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 323 और 147 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें दोनों धाराओं के तहत छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी,

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, दिनांक 26.11.1989 को प्राथमिकी सूचनाकर्ता राजीव रंजन तिवारी द्वारा थाना पाटन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि आम चुनाव की पूर्व संध्या पर, वह थाना पाटन के अंतर्गत गोलहाना बूथ नंबर 132 गांव में भारतीय जनता पार्टी के

कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था और मतदान केंद्र से दो सौ गज उत्तर की ओर मतदाताओं को पर्चियां जारी कर रहा था; उस समय, लगभग 10:40 बजे, आरोपीगण (जो दूसरे गांव नौडीहा के हैं) लाठी, डंडे, देशी पिस्तौल से लैस होकर आए और उससे मतदाता पर्ची जारी करना बंद करने और उसके पास मौजूद मतदाता सूची सौंपने के लिए कहा और उसके मना करने पर, आरोपीगणों ने उसे (पीडब्लू 8 - राजीव रंजन तिवारी) हाथ, घुसो, लाठी और डंडों से शारीरिक रूप से पीटना शुरू कर दिया; घटना की जानकारी होने पर प्राथमिकी सूचनाकर्ता-पीडब्लू 8, प्रिय रंजन तिवारी (पीडब्लू 10) का भाई उसे बचाने आया और उसी समय आरोपी दीनानाथ सिंह उर्फ दीना सिंह ने देशी पिस्तौल से पीडब्लू 10 पर गोली चला दी, जिससे वह छर्रे लगने से घायल हो गया। आरोपी अजय सिंह ने दिनेश तिवारी (पीडब्लू 12) पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। यह भी आरोप लगाया गया कि हाथापाई के कारण आरोपी हीरा सिंह ने पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 की कलाई घड़ियां छीन लीं; जब ग्राम के लोग वहां पहुंचे और फिर सभी आरोपीगण गांव नौधिया की ओर भाग गए। पीडब्लू 8 - राजीव रंजन तिवारी के कथन के आधार पर, जो दिनांक 26.11.1989 को दोपहर 12:30 बजे दर्ज किया गया था, उसी दिन यानी दिनांक 26.11.1989 को दोपहर करीब 2:00 बजे 16 नामजद आरोपीगण के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147 148, 149, 307, 326, 324, 323 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत

एफआईआर दर्ज की गई थी। , इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ आरोपीगण लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह और अयोध्या प्रसाद सिंह को भी चोटें आईं। विवेचना के निष्कर्ष के बाद, विवेचक ने अपीलकर्ताओं सहित 15 आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

2.1 विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपीगण के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 , 307 , 147 , 149 और 379 के तहत अपराध के लिए आरोप विरचित किये। आरोपी दीनानाथ सिंह और अजय सिंह पर आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप विरचित किया गया और आरोपी हीरा सिंह पर धारा 379 आईपीसी के तहत भी विरचित किया गया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामला विद्वान सत्र न्यायालय को उपार्पित गया था, जिसे सत्र परीक्षण संख्या 36 वर्ष 1991 के रूप में क्रमांकित किया गया था।

2.2 आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू8, प्राथमिकी सूचनाकर्ता - राजीव रंजन तिवारी, प्राथमिकी सूचनाकर्ता के भाई प्रिया रंजन तिवारी (पीडब्लू10) और पीडब्लू5 - दिलीप कुमार तिवारी सहित सभी 15 गवाहों का परीक्षित कराया गया, जो सभी घायल थे। अभियोजन पक्ष ने डॉ. जवाहर लाल (पीडब्लू7) को भी परीक्षित कराया, जिन्होंने उसी दिन सदर अस्पताल, डाल्टनगंज में पीडब्लू10, पीडब्लू12 और पीडब्लू5 का परीक्षण किया

और जिन्होंने उक्त व्यक्तियों पर चोटें पाईं। अभियोजन पक्ष ने विवेचक - शिवनंदन महतो (पीडब्लू13) को भी परीक्षित कराया । अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र गवाहों, यानी पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 को भी परीक्षित कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य समाप्त होने के बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपीगण के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष ने आरोपी अयोध्या प्रसाद सिंह, रामा सिंह, शिव कुमार सिंह और लक्ष्मण सिंह की चोटों को साबित करने के लिए डीडब्लू1 को भी परीक्षित कराया और उनकी चोट रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया।

2.3 इसके बाद, पूर्ण विचारण के निष्कर्ष पर और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत पूर्ण साक्ष्य के विवेचन करने और पीडब्लू8, पीडब्लू10 और पीडब्लू5 के बयान पर भरोसा करते हुए, जो सभी घायल चश्मदीद और अन्य चश्मदीद गवाह थे, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 323 और 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और दोनों अपराधों के लिए उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया । विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी दीनानाथ सिंह को आईपीसी की धारा 326 और 148 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और उसे क्रमशः सात साल और दो साल की सज़ा से दंडित किया गया । विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी अजय सिंह को आईपीसी की धारा 324 और

148 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और उसे क्रमशः तीन साल और दो साल की सज़ा से दंडित किया गया।

2.4 यहाँ अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, मूल आरोपी संख्या 9, 8, 12, 11, 10, 14, 2 ने अन्य आरोपीगण के साथ आपराधिक अपील संख्या 232/1999 और आरोपी संख्या 13 ने आपराधिक अपील संख्या 242/1999 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल की। सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।

2.5 मूल आरोपी संख्या 9, 8, 12, 11, 10, 14, 2 एवं 13 ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलों दाखिल की है।

3. अपीलकर्ता आरोपी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप उपस्थित हुए हैं तथा आपराधिक अपील संख्या 606/2021 में विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अरुणाभ चौधरी तथा आपराधिक अपील संख्या 630-631/2021 में विद्वान अधिवक्ता श्री तपेश कुमार सिंह झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं।

3.1 अपीलकर्ता अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने ही अभियुक्तों को धारा 323, 147 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

3.2 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 5 के बयान पर भरोसा करके भौतिक रूप से त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त गवाह अविश्वसनीय और कुटिल हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि वे स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह पीडब्लू 12 दिनेश तिवारी पक्षद्रोही घोषित हुए । यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त गवाह एक ही गांव के हैं।

3.3 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भौतिक रूप से त्रुटि हैं कि अपीलकर्ता विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा थे और इस तरह उन्होंने धारा 147 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपीगण को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है।

3.4 यह भी यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हेतुक स्थापित और साबित नहीं हुआ है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य आशय फर्जी वोट डालना था, जो कभी डाला ही नहीं गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मतदाता पर्ची भी सभी अन्य पक्षों के पास उपलब्ध थी और इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार हेतुक संदिग्ध है।

3.5 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का संबंध है, तो उच्च न्यायालय ने संबंधित अपीलकर्ताओं - आरोपीगण के संबंध में व्यक्तिगत भूमिका और/या मामले के गुण-दोष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पृष्ठ 26, पैरा 23 में केवल यह कहा है कि जहां तक शेष अपीलकर्ताओं का संबंध है, उन्हें धारा 323 और 147 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यहां अपीलकर्ताओं के विरुद्ध साक्ष्य का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।

3.6 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य का उचित विवेचन नहीं किया है कि मतदान केंद्र पर आरोपीगण की उपस्थिति स्वाभाविक थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपचुनाव के कारण, आरोपीगण के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक

दलों से संबंधित अन्य व्यक्ति भी मतदान केंद्र पर उपस्थित थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न दलों से संबंधित लोगों द्वारा विभिन्न गांवों से व्यक्तियों को बुलाना या अन्यथा मतदान केंद्र पर उपस्थित होना स्वाभाविक था और यह अपने आप में दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

3.7 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपीगण को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक पीडब्लू 8-सूचनाकर्ता का संबंध है, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू 8 का कोई चोट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने केवल तीन व्यक्तियों - अर्थात् पीडब्लू 10 - प्रिया रंजन तिवारी, पीडब्लू 12 दिनेश तिवारी और दिलीप तिवारी के चोट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर लाए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनेश तिवारी - पीडब्लू 12 को लगी दो साधारण चोटों को छोड़कर सभी चोटें गोली लगने से पीडब्लू 5 को लगी हैं - । यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू 12 पक्षद्रोही घोषित हुआ है । यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अपीलकर्ताओं पर केवल प्राथमिकी सूचनाकर्ता - पीडब्लू 8 के विरुद्ध लाठी और डंडों का प्रयोग करने का आरोप है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अतः अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में किसी भी पुष्टि करने वाले

साक्ष्य/सामग्री के अभाव में कि अपीलकर्ताओं ने पीडब्लू 8 को पीटा है और उसे चोटें आई हैं, अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपीगण को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से त्रुटि की है।

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी सूचनाकर्ता - पीडब्लू8 का आचरण भी उसकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने विपरीत खेमे के कई लोगों को शामिल किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के बाद वह गाँव गया और थानाध्यक्ष उसके घर आए और उसे सरकारी अस्पताल, पाटन ले गए और उसके बाद उसका फ़र्दबयान (कथन) दर्ज किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो वह अपने घायल भाई के पास गए, न ही वह कभी उसे अस्पताल देखने गए और न ही परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में घायल को देखने गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू 8 एक विश्वसनीय और दृढ़ गवाह नहीं है और अत: अधीनस्थ न्यायालयों को पीडब्लू 8 के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।

3.9 आगे यह भी कहा गया है कि लाठी-डंडों की भी कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचनाकर्ता के पास से मतदान पर्चियाँ भी बरामद नहीं की गई हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि मतदाता पर्चियों का प्रदर्श न करना अभियोजन के मामले को ध्वस्त कर देता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर, पीडब्लू 1

और सूचनाकर्ता और लगातार सभी गवाहों ने कहा है कि राजीव रंजन तिवारी ने आरोपीगण को मतदाता पर्ची देने से इनकार कर दिया, जिस पर हाथापाई हुई। यह प्रस्तुत किया गया है कि मतदान पर्चियाँ प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। यह प्रस्तुत किया गया है अत: मतदाता पर्चियां मांगने की अपुष्ट गवाही साबित नहीं होती है।

3.1 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना तथा कुटुम्बका कृष्ण मोहन राव बनाम लोक
0 अभियोजक, उच्च न्यायालय आंध्रप्रदेश , 1991 अनुपूरक 2 एससीसी 509 में रिपोर्ट किए गए तथा इंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान, (2015) 2 एससीसी 734 में रिपोर्ट किए गए मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।

4. वर्तमान अपीलों का झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा विरोध किया गया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय, दोनों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जो अपीलकर्ताओं को धारा 323 और 147 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पीडब्लू8, पीडब्लू10 और पीडब्लू5, जो आहत चक्षुदर्शी साक्षी हैं, को परीक्षित करके आरोपीगण के विरुद्ध मामला साबित करने में सफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आहत चक्षुदर्शी साक्षियों - पीडब्लू8, पीडब्लू10 और पीडब्लू5 विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सभी तीन गवाहों से गहन जिरह की गई और जिरह से, अभियोजन पक्ष के मामले के प्रतिकूल कुछ भी आरोपी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अन्य गवाहों, पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 को भी परीक्षित कराया, जो स्वतंत्र गवाह हैं, जिन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों पर चर्चा की है और चोट की रिपोर्ट का विश्लेषण किया है और उसके बाद एक विस्तृत निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध और आईपीसी की धारा 147 के तहत बल्वा के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 147 के तहत दंडनीय बल्वा के अपराध के लिए दोषी हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि बल्वा के अपराध के लिए, निम्नलिखित तथ्य समाहित होना चाहिए,

i) आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित 5 या अधिक व्यक्तियों की एक विधि विरुद्ध जमाव , अर्थात, 5 या अधिक व्यक्तियों की एक जमाव और ऐसी जमाव विधि विरुद्ध हो ;

ii) विधि विरुद्ध जमाव को बल या हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। आईपीसी की धारा 349 में बल को परिभाषित किया गया है; और

iii) किसी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया गया बल या हिंसा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, आईपीसी की धारा 146 के तहत परिभाषित बल्वा की सभी सामग्री स्थापित और साबित हो चुकी है।

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि महादेव शर्मा बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार , (1966) 1 एससीआर 18 = एआईआर 1966 एससी 302 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था , कि 'विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी है, हालाँकि उसने स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया

होगा।' यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है, 'आईपीसी की धारा 146 के तहत बल्वा का अपराध तब कारित समझा जाता है जब विधि विरुद्ध जमाव या उसका कोई सदस्य ऐसी जमाव के सामान्य आशय के लिए बल या हिंसा का उपयोग करता है।' यह प्रस्तुत किया गया है कि अत: एक बार विधि विरुद्ध जमाव की स्थापना सामान्य आशय के अभियोजन में की जाती है, अर्थात, वर्तमान मामले में, जैसा कि नीचे की अदालतों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, सामान्य आशय "मतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना" था, प्रत्येक विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बल्वा करने के अपराध के लिए दोषी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि बल का उपयोग, भले ही यह जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा थोड़ी सी भी संभव प्रकृति का हो, एक बार गैरकानूनी साबित होने पर बल्वा माना जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा सभी द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों पर दायित्व बनता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ लोग शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, कुछ लोग संकेतों से जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं और फिर भी विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य बल्वा के लिए समान रूप से दोषी होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं को अपराध

में एक सक्रिय भागीदार के रूप में पाया है और उन्हें राहगीर या दर्शक नहीं कहा जा सकता है।

4.4 यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक धारा 321 आईपीसी के तहत परिभाषित और धारा 323 आईपीसी के तहत दंडनीय स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू 5 द्वारा पीडब्लू 8 और पीडब्लू 12 को लगी चोटें साधारण चोटें हैं जबकि पीडब्लू 10 को गंभीर चोटें लगी हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ताओं को निचली न्यायालयों द्वारा हल्के में छोड़ दिया गया है।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह आरोपी लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह और अयोध्या प्रसाद सिंह को चोटें आईं, जो उनकी उपस्थिति और भागीदारी को संदेह से परे स्थापित करती हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में , उन्होंने अपनी चोटों के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पीडब्लू 5, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 आहत गवाह हैं, जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में अभिनिर्धारित है, एक आहत चक्षुदर्शी गवाह के साक्ष्य का साक्ष्य के रूप में बहुत महत्व है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह

प्रस्तुत किया गया है कि आहत गवाह के साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ठोस और निश्चयात्मक आधार की आवश्यकता है। स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश बनाम मानसिंह (2003) 10 एससीसी 414 (पैरा 9), अब्दुल सईद बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश (2010) 10 एससीसी 259; राम विलास बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश , (2016) 16 एससीसी 316 (पैरा 6); स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश बनाम नरेश , (2011) 4 एससीसी 324 (पैरा 27); के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है और कालाभाई हमीरभाई कछोट बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात , (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 347 (पैरा 20 और 21) के मामले में हालिया निर्णय पर भरोसा किया गया है ।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, शुरुआत से ही, सभी आरोपीगण का नाम एफआईआर में नामित था और उनकी भूमिका और मिलीभगत भरोसेमंद, विश्वसनीय और ठोस सबूतों के साथ स्थापित की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं सहित सभी आरोपीगण ने "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने" के सामान्य आशय के अग्रसण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और वास्तव में घटना में भाग लिया और अपराध किए। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार आहत चक्षुदर्शी गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

4.7 यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए बहुत उदार रुख अपनाया। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अपीलकर्ता एक ही उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य पाए गए थे और पीडब्लू 5, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 को लगी चोटों को देखते हुए, जिन्हें गोली लगने से चोटें आई थीं, इसलिए सभी अपीलकर्ता-आरोपीगण को अन्य आरोपीगण के साथ धारा 307, 326, 324 और 148 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था।

4.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि फर्जी मतदान गंभीर रूप से लोकतंत्र की सबसे बुनियादी विशेषता को कमजोर करता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में हस्तक्षेप करता है, जिसे इस न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया , (2013) 10 एससीसी 1 के मामले में अभिनिर्धारित किया है, इसके दायरे में एक निर्वाचक के बिना किसी डर या दबाव के अपना वोट डालने का अधिकार शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की एक बुनियादी संरचना है और इसके दायरे में अनिवार्य रूप से प्रतिशोध, दबाव या दबाव के डर के बिना अपना वोट डालने का मतदाता का अधिकार शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अत:

जब विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को केवल छह महीने के साधारण कारावास की सजा देकर उदारता दिखाई है, तो इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4.9. उपरोक्त प्रस्तुतियां करने और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है। हमने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों और विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को भी सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का विवेचन करते हैं। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यहां सभी आरोपीगण को आईपीसी की धारा 323 और 147 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दोनों अपराधों के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है और सजाएं एक साथ भुगतने का निर्देश दिया गया है।

यह सच है कि आरोपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की ओर से मामले पर विचार नहीं किया है और न ही प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर चर्चा की है, जबकि निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील पर निर्णय करते समय ऐसा किया जाना चाहिए था। हालांकि, नीचे वर्णित कारणों से और अंततः, हम उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष से

सहमत हैं, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजने के बजाय, हमने स्वयं रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का पुनः विवेचन किया है।

5.1 वर्तमान प्रकरण में, आरोपी को दोषी ठहराते समय, विद्वान विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4, जो स्वतंत्र गवाह हैं और पीडब्लू 5, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10, जो आहत गवाह हैं, के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया है। घटनास्थल पर स्वतंत्र गवाहों और यहां तक कि घायल गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक है। पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4, ये सभी गांव के निवासी थे और वे वोट डालने के लिए वहां आए थे और वे घटना के साक्षी है। सभी गवाहों, पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 ने सभी आरोपीगण की पहचान की है और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। पीडब्लू 5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और यहां तक कि पीडब्लू 12 भी आहत चक्षुदर्शी साक्षी हैं। पीडब्लू 5, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 पर चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा डॉ. जवाहर लाल (पीडब्लू7) को परीक्षित करके स्थापित और साबित किया गया है, जिन्होंने उपरोक्त आहत गवाहों का परीक्षण किया थी। उनकी चोट की रिपोर्ट प्रदर्श 1, 1/1 और ½ के माध्यम से रिकॉर्ड में रखी गई है। सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से और एक ही स्वर में कहा है कि जिस समय लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान चल रहा था और उस समय पीडब्लू 8 - राजीव

रंजन तिवारी मतदाताओं को पर्ची दे रहे थे और उस समय लगभग 10 :40 बजे दूसरे गांव के सभी आरोपीगण वहां आए और उससे पर्ची देना बंद करने और मतदाता सूची सौंपने को कहा और मना करने पर आरोपीगण ने उस पर मुक्कों, थप्पड़ों और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसी बीच उनके भाई प्रिया रंजन तिवारी बचाव के लिए आये और उसी समय दीनानाथ सिंह नामक व्यक्ति ने अपना देशी पिस्तौल निकाल लिया और उस पर गोली चलाई जिससे कई लोग घायल हो गए। एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत से ही सभी आरोपीगण को नामित किया गया था और सभी गवाहों द्वारा विशेष रूप से सभी आरोपीगण का नाम लिया गया था और/या अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ आरोपीगण - लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह और अयोध्या प्रसाद सिंह को भी चोटें आईं और वे धारा 313 अपने बयानों में अपनी चोटों की स्पष्ट करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति स्थापित की गई है और अन्यथा भी सिद्ध की गई है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह अवलोकन किया गया कि PW5, PW8 और PW10 आहत गवाह हैं। आरोपीगण की ओर से पूरी तरह से जिरह करने के बाद भी, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

6. मानसिंह (सुप्रा) के प्रकरण में , इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि "आहत गवाहों के साक्ष्य का साक्ष्य के लिए अधिक महत्व है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए"। उक्त निर्णय में यह भी अवलोकन किया गया है कि "मामूली विसंगतियां अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य की विश्वसनीयता को खराब नहीं करती हैं"। आगे यह अवलोकन किया गया है कि "केवल एक चक्षुदर्शी गवाह के नाम का उल्लेख न करने से अभियोजन पक्ष का संस्करण कमजोर नहीं हो जाता है "।

6.1 इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा अब्दुल सईद (सुप्रा) के प्रकरण में बाद के निर्णय में व्यक्त किया गया है । यह हमलावरों की भीड़ में गवाहों द्वारा पहचान का मामला था। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि "ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में हमलावर हों, गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर की पहचान करना और उसकी विशिष्ट भूमिका बताना मुश्किल हो सकता है"। आगे यह अवलोकन गया है कि "जब घटना कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक संस्करण, हर मिनट का विवरण प्रकट करता है, यानी, व्यक्तिगत कृत्यों की सावधानीपूर्वक सटीकता, चक्षुदर्शी गवाहों द्वारा नहीं दी जा सकती है"। आगे यह अवलोकन किया गया है कि "जहां घटना का गवाह खुद घटना में आहत हो गया था, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय

माना जाता है, क्योंकि वह एक गवाह है जो घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और है किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को बख्शने की संभावना नहीं है।" आगे यह अवलोकन किया गया है कि "इस प्रकार, आहत गवाह के बयान पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों"।

6.2 उपरोक्त विधि के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा राम विलास (सुप्रा) के प्रकरण में फिर से दोहराया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "आहत गवाहों के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ठोस और निश्चयात्मक आधार की आवश्यकता होती है" आगे यह भी अवलोकन किया गया है कि "आहत गवाह होने के नाते, घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है"।

7. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू करने पर, हमें पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 और विशेष रूप से पीडब्लू 5, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 की विश्वसनीयता और/या विश्ववस्तता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता है, जो आहत गवाह हैं। सभी गवाह अपने बयानों पर कायम हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन

किया है। इन परिस्थितियों में, अधीनस्थ न्यायालयों ने पीडब्लू 1, पीडब्लू 3, पीडब्लू 4, पीडब्लू 5, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 के बयानों पर भरोसा करते हुए आरोपीगण को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8. अब जहां तक अपीलकर्ताओं/आरोपी की ओर से यह प्रस्तुति दी गई है कि सभी अपीलकर्ताओं पर लाठियों से लैस होने का आरोप है और जहां तक पीडब्लू 8 का प्रश्न है, कोई चोट रिपोर्ट नहीं आई है और/या रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है और इसलिए उन्हें धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पीडब्लू 8 ने अपने मुख्य परीक्षण/बयान में विशेष रूप से कहा है कि चोट आने के बाद, सरकारी अस्पताल, पाटन में उपचार प्रदान किया गया था। उन्होंने आरोपी दीनानाथ सिंह को छोड़कर सभी आरोपीगण की ओर से जिरह में कहा है कि उन्हें डंडों से 2-3 वार किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें ठीक से याद नहीं है कि उन्हें वार से कितनी चोटें लगी थीं। उनके अनुसार, वह सबसे पहले थाना पाटन के थानाध्यक्ष के साथ थाना पाटन गए, जहां उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद थानाध्यक्ष ने उन्हें इलाज के लिए पाटन अस्पताल भेजा। इस प्रकार, उन पर आरोपीगण द्वारा लाठियों/डंडों से हमला किया गया और उन्हें चोटें पहुंचाई और उनका इलाज सरकारी अस्पताल, पाटन में किया गया और यह स्थापित और साबित हो

गया है। ऐसा हो सकता है कि कोई गंभीर चोट न हो और/या दिखाई देने वाली चोटें न हों, हो सकता है कि अस्पताल ने चोट रिपोर्ट जारी न की हो। हालाँकि, धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए चोट रिपोर्ट का उत्पादन धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से उपहति पहुंचाने के लिए दंडनीय धारा है। आईपीसी की धारा 319 के तहत "उपहति " को परिभाषित किया गया है । आईपीसी की धारा 319 के अनुसार , जो भी कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-दुर्बलता कारित करता है, तो उसे उपहति पहुँचाना कहा जाता है। अत:, शारीरिक दर्द पहुंचाना भी "उपहति" पहुंचाना कहा जा सकता है। अत:, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 323 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

9. अब जहां तक आईपीसी की धारा 147 के तहत आरोपी की दोषसिद्धि का प्रश्न है, घटना के समय सभी आरोपीगण की उपस्थिति और उनकी सक्रिय भागीदारी स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त गवाहों को परीक्षित करके साबित किया गया है जो स्वतंत्र गवाह और आहत गवाह भी है । आरोपीगण दूसरे गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने सामान्य आशय, यानी, "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने" के लिए विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया। यह स्थापित और प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने बल का प्रयोग किया

और घटना में पीडब्लू5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 को चोटें आईं। सभी आरोपीगण-अपीलकर्ताओं के पास लाठियाँ थीं। आईपीसी की धारा 147 "बल्वा" करने के लिए दंडनीय धारा है। "बल्वा" का अपराध आईपीसी की धारा 146 में परिभाषित किया गया है , जो इस प्रकार है:

"146. बल्वा - जब भी किसी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा, ऐसी जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसण करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी होगा।

आईपीसी की धारा 146 के अनुसार "बल्वा" की परिभाषा को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, "बल्वा" के अपराध के लिए, यह समाहित होना चाहिए,

i) आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित 5 या अधिक व्यक्तियों की एक विधि विरुद्ध जमाव , अर्थात, 5 या अधिक व्यक्तियों की एक जमाव और ऐसी जमाव विधि विरुद्ध हो ;

ii) विधि विरुद्ध जमाव को बल या हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। आईपीसी की धारा 349 में बल को परिभाषित किया गया है; और

iii) किसी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया गया बल या हिंसा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी है।

9.1 आईपीसी की धारा 349 के तहत "बल" को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 349 के अनुसार , "बल" का अर्थ है "ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे पर बल का प्रयोग करता है यदि वह दूसरे पर गति, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है...।"

जैसा कि ऊपर अवलोकन किया गया है, सभी आरोपीगण विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और उनका सामान्य आशय "मतदाताओं की पर्चियाँ छीनना और फर्जी मतदान करना" था। जैसा कि अवलोकन किया गया है, उन्होंने बल और हिंसा का भी प्रयोग किया। आरोपीगण की ओर से यह मामला है कि आईपीसी की धारा 147 के तहत बल्वा के अपराध के लिए उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर अवलोकन किया गया है और जैसा कि इस न्यायालय ने अब्दुल सईद (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया है , जहां बड़ी संख्या में हमलावर हैं, गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर की पहचान करना और उसकी विशिष्ट भूमिका बताना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान मामले में, घटना भी कुछ ही

मिनटों में समाप्त हो गई और अतः यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक सूक्ष्म विवरण को प्रकट करने वाली घटना का सटीक संस्करण, यानी, व्यक्तिगत कृत्यों की सावधानीपूर्वक सटीकता, चक्षुदर्शी गवाहों द्वारा नहीं दी जा सकती है। अन्यथा भी, जैसा कि इस न्यायालय ने महादेव शर्मा (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया था , विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो। पारा 7 में, इसे निम्नानुसार अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है:

"7. धारा 146 फिर बल्वा के अपराध को परिभाषित करती है। यह अपराध तब किया गया माना जाता है जब विधिविरुद्ध जमाव या उसका कोई सदस्य ऐसी जमाव के सामान्य आशय की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है। यहां यह देखा जा सकता है कि विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो। इस प्रकार, जब विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य आशय को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिस्थानिक देयता होती है।

इस प्रकार, एक बार विधिविरुद्ध जमाव सामान्य आशय के अभियोजन में स्थापित हो जाती है, यानी, वर्तमान मामले में, "मतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना", विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य बल्वा के अपराध का दोषी है। बल का प्रयोग, भले ही वह जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा थोड़ी सी भी संभव प्रकृति

का क्यों न हो, एक बार विधि विरुद्ध घोषित हो जाने पर बल्वा माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा सभी द्वारा की जाए, लेकिन दायित्व विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों पर बनता है। जैसा कि राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने सही कहा है, कुछ लोग शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, अन्य संकेतों से जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं और फिर भी विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्य बल्वा के समान रूप से दोषी होंगे। वर्तमान मामले में, यहां सभी आरोपीगण को सामान्य आशय के अभियोजन में यानी, "मतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना" विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य पाया गया है, और पीडब्लू 5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 को चोटें आईं। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा के कारण, अपीलकर्ता-आरोपीगण को बल्वा के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 147 के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया जाता है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा दृढ़ विचार है कि अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 323 और 147 के तहत सही रूप से दोषी ठहराया गया है और केवल उक्त अपराधों के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अलग होने से पहले, हम यह अवलोकन कर सकते हैं कि यद्यपि वर्तमान मामले में यह स्थापित और प्रमाणित हो चुका है

कि सभी आरोपी सामान्य आशय, अर्थात् "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने" के लिए विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे और आईपीसी की धारा 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है , विद्वान् विचारण न्यायालय ने केवल छह महीने के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह आगे अवलोकन किया है कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। यह भी आगे अवलोकन किया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की गोपनीयता आवश्यक है। यह भी आगे अवलोकन किया गया है कि लोकसभा या राज्य विधानमंडल के प्रत्यक्ष चुनावों में, गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है और दुनिया भर के लोकतंत्रों में इस पर जोर दिया जाता है, जहां प्रत्यक्ष चुनाव शामिल होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपना वोट डाल सके। अगर उसके वोट का खुलासा हो जाए। यह भी आगे अवलोकन किया गया है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। यह भी आगे अवलोकन किया गया है कि चुनाव एक ऐसा तंत्र है जो अंततः लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। चुनावी प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए। अत, बूथ कैप्चरिंग और/या फर्जी

वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून के शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, चूंकि राज्य ने केवल छह महीने की साधारण कारावास की सजा के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए हम इस मामले को वहीं रोक देते हैं।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यहां ऊपर बताए गए कारणों से, सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। चूंकि, यहां आरोपी-अपीलकर्ताओं के आत्मसमर्पण से छूट के आवेदनों को इस न्यायालय ने क्रमशः दिनांक 15.03.2019 और 08.07.2019 के आदेशों के तहत अनुमति दी थी, अतः आरोपी-अपीलकर्ताओं को अपनी सजा भुगतने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

..... न्यायमूर्ति

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

..... न्यायमूर्ति

[एमआर शाह]

नई दिल्ली,

दिनांक 23 जुलाई, 2021।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|